



2026:AHC: 174166

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 1091 वर्ष 2026

अनुष्का सोनकर और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: महेश कुमार, मुज्जमिल जाहिद अंसारी, रयाज़ हसन, दीपक सिंह पटेल
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

आदेश दिनांक 04.08.2026 के माध्यम से, राज्य के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 4 को बंदी (कार्पस), अर्थात् अनुष्का सोनकर, अनुज सोनकर और अर्पित सोनकर को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इसके अनुपालन में, थाना झूंसी, प्रयागराज के कांस्टेबल श्री कृष्ण कुमार और महिला कांस्टेबल सुश्री प्रिया राय द्वारा बंदियों (कार्पस) को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इस न्यायालय ने लगभग नौ वर्ष की आयु के सबसे बड़े बंदी (कार्पस) अनुज सोनकर से बातचीत किया। उसने खुलासा किया कि वह, अपने अन्य भाई-बहनों के साथ, स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि प्रवेश के लिए आवश्यक आधार कार्ड उसके पिता के पास है। यद्यपि बंदियों (कार्पस) को अपनी माता की संगति में काफी सहज पाया गया, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे वर्तमान में शिक्षा से वंचित हैं। उनकी कम आयु में, शिक्षा से लगातार वंचित रहने से उनके भविष्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता अर्जुन सोनकर से भी बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि उसकी पत्नी का कथित तौर पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है और इस कारण वह उसके साथ वैवाहिक घर में रहने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि, उसने अवयस्क बंदियों (कार्पस) की अभिरक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की और न्यायालय को आश्वस्त किया कि वह उनकी उचित देखभाल करेगा, उन्हें शिक्षा प्रदान करेगा और उनके उचित पालन-पोषण के लिए हर संभव प्रयास करेगा ताकि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 4, श्रीमती निशा सोनकर से भी बातचीत किया, जिसने कहा कि वह वैवाहिक घर में अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन याचिकाकर्ता उसके साथ सहवास फिर से शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। उसने इस आधार पर बंदियों (कार्पस) की अभिरक्षा का दावा किया कि वह उनकी माता है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि वह कोई आय अर्जित नहीं कर रही है और पूरी तरह से अपने रिश्तेदारों पर निर्भर है। यह भी स्वीकार किया गया है कि बंदियों (कार्पस) को अभी तक किसी स्कूल में प्रवेश नहीं दिलाया गया है और परिणामस्वरूप, उनकी औपचारिक शिक्षा अभी शुरू होनी बाकी है।

इस न्यायालय ने पति-पत्नी के बीच सुलह की सुविधा के लिए भी ईमानदारी से प्रयास किए। हालांकि, अपनी अलग रह रही पत्नी के कथित अवैध संबंधों के कारण याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए रुख के दृष्टिगत, सुलह की कोई संभावना नहीं लाई जा सकी। इसलिए, न्यायालय अवयस्क बंदियों के कल्याण की कसौटी पर उनकी अभिरक्षा के मुद्दे को निर्धारित करने के लिए विवश है। यह स्पष्ट है कि बंदी (कार्पस) वर्तमान में अपनी माता के साथ रह रहे हैं और उनके साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन साझा करते हैं। इसके साथ ही, यह भी उतना ही स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी-माता के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और वह पूरी तरह से अपने रिश्तेदारों पर निर्भर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समय बीतने के बावजूद, बंदियों (कार्पस) की शिक्षा शुरू नहीं हुई है।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता, उनका नैसर्गिक पिता होने के नाते, उनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी लेने की अपनी इच्छा और क्षमता व्यक्त किया है और न्यायालय को आश्वस्त किया है कि वह उन्हें एक अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाएगा और उनकी शिक्षा और समग्र कल्याण सुनिश्चित करेगा। उसने आगे कहा है कि उसकी अनुपस्थिति में बंदियों की देखभाल के लिए उसके परिवार के अन्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सदस्य भी उपलब्ध हैं। यद्यपि सबसे बड़े बंदी अनुज सोनकर ने अपने पिता के साथ जाने की अपनी अनिच्छा व्यक्त किया है, लेकिन इतनी कम आयु के बच्चे द्वारा व्यक्त की गई प्राथमिकता को अपने आप में निर्णायक नहीं माना जा सकता है, जब न्यायालय को अवयस्कों के समग्र कल्याण और सर्वोत्तम हितों का आकलन करने की आवश्यकता होती है।

अवयस्कों की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में सर्वोपरि विचार उनका कल्याण और सर्वोत्तम हित है, न कि केवल माता या पिता का विधिक अधिकार। परिस्थितियों की समग्रता, विशेष रूप से बंदियों (कार्पस) की शिक्षा, उचित पालन-पोषण, वित्तीय सुरक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि उनकी अभिरक्षा उनके पिता, याचिकाकर्ता, अर्जुन सोनकर को सौंपने से उनके कल्याण की बेहतर पूर्ति होगी।

तदनुसार, अवयस्क बंदियों (कार्पस) अर्थात् अनुष्का सोनकर, अनुज सोनकर और अर्पित सोनकर की अभिरक्षा उनके पिता, याचिकाकर्ता, अर्जुन सोनकर को सौंपी जाती है।

इसके साथ ही, यह न्यायालय उस भावनात्मक बंधन के प्रति सचेत है जो बंदी (कार्पस) अपनी माता के साथ साझा करते हैं। ऐसे बंधन को संरक्षित और पोषित करने के लिए, प्रत्यर्थी संख्या 4, श्रीमती निशा सोनकर को मुलाकात का अधिकार होगा। वह अवयस्क बंदियों (कार्पस) से मिलने और बातचीत करने के प्रयोजन से पूर्व सूचना के साथ, किसी भी उचित समय पर याचिकाकर्ता अर्जुन सोनकर के निवास पर जाने के लिए स्वतंत्र होगी। वह प्रतिदिन शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके साथ बातचीत करने की भी हकदार होगी।

याचिकाकर्ता इस तरह की मुलाकात और वीडियो बातचीत को सुविधाजनक बनाने में सभी उचित सहयोग प्रदान करेगा और उसमें कोई अनावश्यक बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। प्रत्यर्थी-माता भी यह सुनिश्चित करेगी कि बंदियों (कार्पस) के साथ उसकी बातचीत उनकी भावनात्मक भलाई के लिए अनुकूल रहे।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्वोक्त व्यवस्था प्रत्यर्थी-पत्नी को वैवाहिक घर में याचिकाकर्ता के साथ सहवास फिर से शुरू करने से नहीं रोकेगी, यदि याचिकाकर्ता ऐसा करने के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लिए तैयार है और पक्षकार पारस्परिक रूप से ऐसी व्यवस्था के लिए सहमत हैं। हालांकि, ऐसा कोई भी निर्णय दोनों पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा से और अवयस्क बंदियों के सर्वोत्तम हित में लिया जाएगा।

पूर्वोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

18 अगस्त, 2026

हिमांशु

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”